

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/पू0पी0(निरस्तीकरण)/ /2016, लखनऊ, दिनांक: मार्च 14, 2016
आदेश

आदेश संख्या 571/2016 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा उ0प्र0 वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन संगत माह मार्च 2016 में दिनांक 28.03.16 से 31.03.16 तक की अवधि के लिए स्वयं के साथ श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 लखनऊ एवं श्री अनिल कुमार मिश्रा, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3 लखनऊ को सम्मिलित कर मुख्यालय पर गठित पूर्ण पीठ एतद्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित को तदनुसार अवगत कराया जाये।

ह0 14.03.16

(डी0एस0 त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/पू0पी0(निरस्तीकरण)/728 /2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ।
2. सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ।
3. राज्यप्रतिनिधि, सम्बद्ध पूर्ण पीठ, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/सचिव उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर बार एसोसिएशन को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित सूचना से समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से अवगत करायें।
5. श्री शिव कुमार अरोरा, अध्यक्ष, उ0प्र0टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज रोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ0प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन, एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि पूर्ण पीठ गठन सम्बन्धी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. श्री आर0एस0 गोयल, अधिवक्ता टैक्सों एकेडमी एण्ड वेलफेयर फोरम वेस्टर्न उ0प्र0, 52 नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. पेशकार/अहलमद/वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,



निबन्धक

वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।